



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2014/फाल्गुन 28, 1935

No. 88]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2014/PHALGUNA 28, 1935

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2014

सं. भा.आ.प.34(41)/2013-मेडि./64020.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999” में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इस विनियमों को “आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली (संशोधन), 2013” कहा जाए।
(ii) “वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमाणीकरण की तारीख अर्थात् 21.10.2013 से प्रवृत्त होंगे।”
2. “आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999” में अभिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाये जाएंगे:—
3. फार्म और प्रक्रिया (3) शीर्षक के अंतर्गत खण्ड II के भाग (8) निर्माण कार्यक्रम के (छ.) में “पशु गृह” को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम में शरीरक्रिया विज्ञान तथा भेषज गुण विज्ञान के शिक्षण हेतु कम्प्यूटर सहायक मॉड्युल्स का प्रयोग करते हुए अपेक्षित ज्ञान व कौशल प्रदान किया जाए। सीपीसीएई के दिशानिर्देशों के अनुसार पशु रखने के लिए केवल क्षेत्र आवश्यक है।”

अशोक कुमार हरित, उप सचिव (प्रशा.)

[विज्ञापन III/4/असाधारण/100/13]

पाद टिप्पणी: प्रधान नियमावली नामतः ‘आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999’ दिनांक 28 अगस्त, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98 मेडि. के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III, धारा (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 7 अक्टूबर, 1999, 14 अगस्त, 2000, 29 जुलाई, 2008, 22 अक्टूबर, 2009, 26 फरवरी, 2010, 16 अप्रैल, 2010, 14 अक्टूबर, 2011, 1 जून, 2012 और 01 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2014

No.MCI-34(41)/2013-Med./64020.— In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", namely:—

1. (i) These Regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, 2013 (Amendment)"
(ii) "They shall come into force from the date of authentication by Ministry of Health & Family Welfare, i.e. w.e.f. 21.10.2013."
2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein:—
3. In 3. FORM AND PROCEDURE clause part II (8) Building Programme (g) the heading " Animal House" will be substituted as under :

“For teaching Physiology and Pharmacology in UG curriculum, the required knowledge and skills should be imparted by using Computer Assisted modules. Only an animal hold area, as per CPCSEA Guidelines is required.”

ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy. (Admin.)

[ADVT. III/4/Exty./100/13]

Foot Note: The Principal Regulations namely, 'Establishment of Medical College Regulations, 1999' were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Council of India Notification No. 34(41)98-Med. and amended *Vide* Notification 7th October, 1999, 14th August, 2000, 29th July, 2008, 22nd October, 2009, 26th February, 2010, 16th April, 2010, 14th October, 2011, 1st June, 2012 and 1st October, 2012.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2014/ फाल्गुन 28, 1935

No. 89]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2014/PHALGUNA 28, 1935

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2014

सं. भा.आ.प. 34(41)/2013—मेडि./64022.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50/100/150/200/250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

- (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50/100/150/200/250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, (संशोधन) 2013" कहा जाए ।
(ii) "वे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रमाणीकरण की तारीख अर्थात् 21.10.2013 से प्रवृत्त होंगे।"
- "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50/100/150/200/250 दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" में किए गए परिवर्धनों/संशोधनों/विलोपों/प्रतिस्थापनों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जाएगा :—

खण्ड क. 1.9 में "पशु गृह" शीर्षक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"स्नातक- पूर्व पाठ्यक्रम में शरीरक्रिया विज्ञान तथा भेषज गुण विज्ञान के शिक्षण हेतु कम्प्यूटर सहायक मॉड्युल्स का प्रयोग करते हुए अपेक्षित ज्ञान व कौशल प्रदान किया जाए । सीपीसीएसईए के दिशानिर्देशों के अनुसार पशु रखने के लिए केवल क्षेत्र आवश्यक है।"

अशोक कुमार हरित, उप-सचिव (प्रशा.)
[विज्ञापन III/4/असा./100/13]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998—मेड (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग—III, धारा (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010, 30 जनवरी, 2010, 26 फरवरी, 2010, 16 अप्रैल, 2010 और 4 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना द्वारा पुनः संशोधित किया गया था ।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2014

No. MCI-34(41)/2013-Med./64022.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Minimum Standard Requirements for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", namely:—

1. (i) These Regulations may be called the "Minimum Standard Requirements for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2013".
(ii) "They shall come into force from the date of authentication by Ministry of Health & Family Welfare, i.e., w.e.f. 21.10.2013".
2. In the "Minimum Standard Requirements for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999", the following additions/modifications/deletions/ substitutions, shall be as indicated therein:—

In Clause A.1.9 the heading "Animal House" will be substituted as under:—

"For teaching Physiology and Pharmacology in UG curriculum, the required knowledge and skills should be imparted by using Computer Assisted modules. Only an animal hold area, as per CPCSEA Guidelines, is required."

ASHOK KUMAR HARIT, Dy. Secy. (Admn.)

[ADVT. III/4/Exty./100/13]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Requirements for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999" *vide* Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended *vide* corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended *vide* notification dated 20.10.2008, 08.07.2009, 13.11.2009, 18.01.2010, 30.01.2010, 26.02.2010, 16.04.2010 & 04.11.2010.